



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2019/चैत्र 11, 1941

No. 108]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2019/CHAITRA 11, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

सं. 82/2015-20

विषय : विशिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और आयात निर्यात प्रपत्र के संबंध में।

फा.सं.01/92/180/56/एम-19/पीसी-VI.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा विशिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 7(क) और इस अध्याय से संबंधित आयात निर्यात प्रपत्र-7 (क) को अधिसूचित करते हैं।

2. इस सार्वजनिक सूचना के साथ प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के अध्याय 7(क) का पाठ और आयात निर्यात प्रपत्र-7(क) क संलग्न है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: विशिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और आयात निर्यात प्रपत्र को अधिसूचित किया जाता है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

अध्याय 7(क)

विशिष्ट कृषि उत्पाद स्कीम के लिए परिवहन और विपणन सहायता

7(क).00 नीति

विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 7(क) में दी गई है। वाणिज्य विभाग की दिनांक 27.02.2019 की अधिसूचना सं. 17/3/2018-ईपी (कृषि IV) की प्रतिलिपि परिशिष्ट-7 (क) क में दी गई है।

7(क).01 परिवहन और विपणन सहायता का दावा करने की प्रक्रिया

- (क) इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता का दावा करने के लिए आवेदन पंजीकृत और पात्र निर्यातक जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आरसीएमसी है, द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (ख) कारपोरेट कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय/शाखा कार्यालय या विनिर्माण यूनिट द्वारा आवेदन किया जा सकता है। परिवहन और विपणन सहायता के लिए आवेदन अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार की अध्यक्षता वाले क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक के पास अपने कारपोरेट कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय/शाखा कार्यालय या विनिर्माण यूनिट के पता के आधार पर क्षेत्राधिकारी आरए जिसके प्रमुख अपर महानिदेशक विदेश व्यापार हों, चुनने का विकल्प होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी जिसके प्रमुख अपर महानिदेशक विदेश व्यापार हों, के क्षेत्राधिकार को परिशिष्ट-7(क)ख में विनिर्दिष्ट किया गया है। इस स्कीम के तहत पहला आवेदन करते समय क्षेत्रीय प्राधिकारी के विकल्प का चयन करना आवश्यक है। विकल्प का चयन करने के बाद स्कीम के तहत आगे के दावों के लिए किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- (ग) आवेदन परिशिष्ट-2ट में यथा विहित आवेदन शुल्क के साथ डीजीएफटी की वेबसाइट (<http://dgft.gov.in>) पर ऑनलाइन भरा जाएगा। विहित दस्तावेजों के साथ एएनएफ 7(क)क के प्रिन्ट आउट की वास्तविक पीडीएफ प्रतिलिपि संबंधित आरए के पास 30 दिनों के भीतर मैन्युअल रूप में प्रस्तुत की जाएगी। आवेदन देखने की लॉग-इन प्रक्रिया वही होगी जो अन्य ईकॉम आवेदनों के लिए है। आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने के बाद वेबसाइट द्वारा एक फाइल संख्या सृजित की जाएगी।
- (घ) टीएमए का दावा करने के लिए आवेदन किसी तिमाही में किए गए शिपमेंट के लिए तिमाही आधार पर प्रस्तुत किए जाएंगे। ऑनलाइन दावा उस तिमाही जिसमें निर्यात किए गए हैं, के पूरा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अप्रैल से जून, 2019 की तिमाही में किए गए निर्यात के लिए दावा 30.06.2020 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी प्रकार, 01.03.2019 से 31.03.2019 तक के लिए दावा हेतु आवेदनों को 31.03.2019 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (ङ) टीएमए दावा शिपमेंट आधार पर उपलब्ध होगा। किसी तिमाही में किए गए शिपमेंट के सभी दावों को एक साथ समूह में किया जाना चाहिए और एएनएफ 7(क)क के अनुलग्नक क में यथा प्रदत्त प्रपत्र में सनदी लेखाकार (सीए)/लागत और कार्य लेखाकार (आईसीडब्ल्यूए)/कम्पनी सचिव (सीएस) प्रमाण पत्र के साथ एक आवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (च) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद 30 दिनों के भीतर विहित दस्तावेज के साथ आवेदन की वास्तविक प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं करने, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के कारण डीजीएफटी द्वारा दावा संबंधी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

7(क).02 अपेक्षित दस्तावेज

विधिवत रूप से स्वप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ सभी आवेदन एएनएफ-7(क)क (विधिवत रूप से ऑनलाइन भरे हुए) में प्रस्तुत किए जाने चाहिए:

- (i) शिपिंग बिल (बिलों) की ईपी प्रति/एयरवे बिल;
- (ii) वाणिज्यिक बीजक;

(iii) समुद्र द्वारा शिपमेंट के मामले में ऑन बोर्ड लदान बिल;

(iv) एएनएफ 7 (क)क अनुलग्नक क के अनुसार सनदी लेखाकार (सीए)/लागत और कार्य लेखाकार (आईसीडब्ल्यूए)/कम्पनी सचिव (सीएस) का प्रमाण पत्र।

(v) एएनएफ-7(क)क के अनुलग्नक ख के अनुसार उत्तराई का प्रमाण।

निर्यातक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने तथा आरए के पास वास्तविक प्रति जमा करने से पहले आवेदन पत्र में दिए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों को देख सकते हैं।

7 (क). 03 अन्य शर्तें

(क) सहायता का भुगतान केवल कार्गो का निर्यात करने वाले उसी निर्यातक को किया जाएगा जिसके नाम पर सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त किया जा रहा है। उन उत्पादों को सहायता नहीं दी जाएगी जिन्हें समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 27.02.2019 की वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 17/3/2018-ईपी (कृषि IV) के अनुलग्नक (1) में अपात्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार, वाणिज्य विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा में अपात्र के रूप में अधिसूचित कतिपय निर्यात की श्रेणियों के लिए भी यह सहायता उपलब्ध नहीं है।

(ख) वाणिज्य विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुलग्नक (2) में यथा उल्लिखित गंतव्य स्थानों/देशों को पात्र कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सहायता दी जाएगी।

(ग) यह सहायता वाणिज्य विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुलग्नक (3) में यथा अधिसूचित दरों तक सीमित है।

(घ) एफओबी आपूर्तियां जहां भारतीय निर्यातकों द्वारा किसी भाड़ा का भुगतान नहीं किया जाता है, इस स्कीम के तहत शामिल नहीं है।

(ङ) यह स्कीम केवल ईडीआई पत्तनों के द्वारा किए गए निर्यात के लिए ग्राह्य है।

(च) समुद्र द्वारा शिपमेंट के मामले में दावा केवल पूर्ण कंटेनर लोड (एफसीएल) के लिए और वायुयान द्वारा शिपमेंट के मामले में मीट्रिक टन के गुणक में (उसके किसी अंश को ध्यान में नहीं रखते हुए) किया जाना चाहिए। चालीस फीट के कंटेनर को दो टीईयू के रूप में माना जाना चाहिए। कंटेनर से कम भार (एलसीएल) शिपमेंट/20-फूट समतुल्य यूनिट (टीईयू), जिसमें पात्र और अपात्र कार्गो हों, को आवेदन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(छ) यदि उपभोक्ता द्वारा खेप जिसके लिए दावा प्राप्त किया गया है, बाद में लौटा दी जाती है तो आवेदक को 15 प्रतिशत वर्ष ब्याज के साथ दी गई सहायता को लौटाना होगा।

(ज) उस तिमाही के एक वर्ष पूरा होने के बाद कोई आवेदन नहीं किया जा सकता है जिसमें निर्यात किया गया है। इसलिए, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.02 में यथा परिभाषित विलम्ब कटौती के प्रावधान और प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.03 में यथा प्रदत्त पूरक दावों के प्रावधान इस स्कीम पर लागू नहीं है।

7 (क). 04 आवेदन में त्रुटियां

आवेदन में त्रुटियों यदि कोई हों, के बारे में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निर्यातक को सूचित किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत या पूरे किए गए आवेदन को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

7 (क). 05 लेखा परीक्षा तंत्र

(क) 10% मामलों जहां इस अध्याय के तहत लाभ प्रदान किए गए हैं/प्रदान किए जा चुके हैं, का यादृच्छिक आधार पर चयन किया जाएगा। जहां आवश्यक हो क्षेत्रीय प्राधिकारी जांच के लिए मूल दस्तावेजों की मांग कर सकता है। मूल दस्तावेज जमा नहीं करने पर आवेदक सहायता जारी किए जाने की तारीख से प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज लौटाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) यदि ऐसी जांच के बाद किसी विसंगति और/अथवा अधिक दावा का पता लगता है, तो आवेदक का दायित्व होगा कि वह ऐसी विसंगति को दूर करे और/अथवा अधिक दावा को एक महीने के भीतर वसूली योग्य राशि पर प्रति वर्ष 15% की दर से ब्याज के साथ लौटाए। दस्तावेजों की जालसाजी, गलत कथन/गलत घोषणा, मिथ्याकरण और जालसाजी या

जानबूझकर की गई अन्य चूक के मामलों को विदेश व्यापार नीति/विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992/विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली, 1993 के दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार निपटारा किया जाएगा।

- (ग) क्षेत्रीय प्राधिकारी किसी भी मामले का पुनर्मूल्यांकन भी कर सकता है, जहां कोई भी गलत/अपात्र भुगतान किया गया हो/का दावा किया गया हो। क्षेत्रीय प्राधिकारी वसूली योग्य राशि पर प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ प्राप्त की गई अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- (घ) इसके अतिरिक्त, जहां आवश्यक हो, क्षेत्रीय प्राधिकारी संबंधित निर्गम प्राधिकारी के साथ निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों/दस्तावेजों की दुबारा जांच भी कर सकता है।

7(क).06. विविध

एफटीपी/एचबीपी, एफटी (डी एंड आर) अधिनियम 1992/एफटी(आर) नियमावली 1993 के तहत कोई भी बकाया/वसूली टीएमए के अनुमोदित/भविष्य के दावों में से काटी जा सकती है।

परिशिष्ट – 7(क) क

(वाणिज्य विभाग की दिनांक 27.02.2019 की अधिसूचना सं. 17/3/2018-ईपी (कृषि IV)

(कृपया प्रक्रिया पुस्तक का पैरा 7क.00 देखें)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2019

सं. 17/3/2018-ईपी (एपी IV).—केन्द्रीय सरकार ने विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) शीर्षक वाली एक स्कीम अनुमोदित की है।

2. भूमि का एवं उद्देश्य

(i) विशिष्ट कृषि उत्पाद के लिए “परिवहन एवं विपणन सहायता” (टीएमए) स्कीम का उद्देश्य कृषि उत्पादों के मालभाड़े एवं विपणन के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए सहायता उपलब्ध कराना है जिससे ट्रांस-शिपमेंट के कारण विशिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात के परिवहन की उच्च लागत की हानि में कमी करना और विनिर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए ब्रांड पहचान को प्रोत्साहित करना है।

(ii) स्कीम उपयुक्त रूप से विदेश व्यापार नीति (2015-20) में शामिल की जाएगी।

3. कवरेज

(क) विदेश व्यापार नीति के अनुसार संगत निर्यात संवर्धन परिषद में विधिवत रूप से पंजीकृत पात्र कृषि उत्पादों के सभी निर्यातक इस स्कीम के तहत शामिल किए जाएंगे।

(ख) अधिसूचित दरों पर सहायता समय-समय पर विनिर्दिष्ट अनुसार अनुमत देशों को पात्र कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए उपलब्ध होंगी।

4. प्रयोजनीयता: स्कीम समय समय पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए लागू होगी। वर्तमान में स्कीम निर्यातकों के लिए 1.3.2019 से 31.3.2020 तक लागू होगी।

5. उत्पादों की पात्रता : अनुबंध (1) में उल्लिखित उत्पादों को छोड़कर समुद्री एवं रोपण उत्पादों सहित एचएसएन अध्याय 1 से 24 में शामिल सभी कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

6. सहायता का पैटर्न

(क) टीएमए के तहत सहायता अदा किए गए मालभाडे के क्षतिपूर्ति अंश के रूप में सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए नगद में उपलब्ध कराई जाएगी। एफओबी आपूर्ति, जहां भारतीय निर्यातकों द्वारा कोई मालभाडा अदा नहीं किया गया, इस स्कीम के तहत शामिल नहीं है।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों के लिए सहायता का स्तर विभिन्न होगा जैसा कि पात्र उत्पादों के निर्यात के लिए समय – समय पर अधिसूचित किया जाता है। टीएमए के तहत सहायता के लिए प्रत्येक क्षेत्र में पात्र निर्यातगंतव्यों/देशों की सूची अनुबंध (2) में उल्लिखित है।

(ग) सहायता तभी अनुमत होगी जब निर्यातों के लिए भुगतान केवल सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया हो।

(घ) ईडीआई पत्रनों के माध्यम से किए गए निर्यातों के लिए स्कीम को अनुमति दी जाएगी।

(ङ.) स्कीम में हवाई मार्ग एवं समुद्री मार्ग से (सामान्य और रीफर कार्गो दोनों) किए गए निर्यातों हेतु माल भाडा और विपणन सहायता शामिल है।

(च) समुद्री मार्ग से उत्पादों के निर्यात के लिए टीएमए पूरे वीस- फीट इक्वीवेलेंट यूनिट (टीईयू) कंटेनरों के लिए भुगतान किए गए माल भाडा पर आधारित होगा। यह सहायता (i) कंटेनर लोड से कम (एलसीएल) और (ii) कंटेनर में उपयुक्त और गैर उपयुक्त दोनों वर्गों की कार्गो होने पर उपलब्ध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, यदि कार्गो बल्क/ब्रेक बल्क मोड में शिपड किया जाता है तो कोई टीएमए उपलब्ध नहीं होगा। चालीस फीट के कंटेनर को दो टीईयू माना जाएगा।

(छ) वायुयान द्वारा निर्यात किए गए उत्पादों के लिए सहायता निर्यात कार्गो के निवल भार पर प्रतिटन माल भाडा शुल्क, जिसकी गणना पूर्ण टन आधार पर, उसके किसी भाग को शामिल न करते हुए की जाएगी।

(ज) यह सहायता अनुबंध 3 में दी गई अधिसूचित दरों पर प्रदान की जाएगी।

7. टीएमए के लिए गैर उपयुक्त निर्यात के वर्ग

इस स्कीम के तहत निम्नलिखित निर्यात वर्ग/क्षेत्र अपात्र होंगे :

- (i) एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/एफटीडब्ल्यूजेड से निर्यात किए गए उत्पाद
- (ii) डीटीए इकाइयों के माध्यम से निर्यात किए गए एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/एफटीडब्ल्यूजेड उत्पाद
- (iii) एफटीपी के पैरा 2.46 के तहत शामिल किए गए आयातित माल के निर्यात
- (iv) ट्रांस – शिपमेंट के माध्यम से निर्यात अर्थात निर्यात जिसका उद्गम तीसरे देश में हुआ किंतु जिनका भारत से होकर ट्रांस – शिप किया गया।
- (v) यदि विशिष्ट रूप से अधिसूचित न किया गया हो तो, आईटीसी (एचएस) में निर्यात नीति की अनुसूची – 2 के तहत निर्यात के लिए निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित मर्चे
- (vi) यदि विशिष्ट रूप से अधिसूचित न किया गया हो, तो न्यूनतम निर्यात कीमत अथवा निर्यात शुल्क के अध्वधीन निर्यात उत्पाद
- (vii) ई – कामर्स का उपयोग करते हुए कुरियर अथवा विदेशी पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से माल का निर्यात

8. स्कीम के तहत सहायता लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया

टीएमए की प्रतिपूर्ति क्रियाविधि पुस्तिका (2015-2020) के अध्याय 7(क) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी।

9. दावा,लेखा परीक्षा,वसूलीएवंदंडात्मककार्रवाईकीसंबंधीकेलिएतंत्र

डीजीएफटी दावा,किए गए भुगतान की लेखा परीक्षा, भुगतान की गई अयोग्य/अतिरिक्त सहायता की वसूली, ऐसी वसूली पर ब्याज की संविक्षा के लिए कार्य पद्धति निर्धारित करेगा। चूककर्ता विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1992, के प्रावधानों एवं इसके अधीन बनाए गए नियम और आदेशों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

अनुबंध (1)**टीएमए के तहत अयोग्य कृषि उत्पादों की सूची**

निम्नलिखित अपवादों के साथ एचएसएन अध्याय 1 से 24 के तहत आने वाले सभी कृषि उत्पादों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी:

| अध्याय | एचएस कोड | विवरण |
|------------------|-------------------|--|
| अध्याय 1, 2 और 5 | सभी एचएस कोड | - जीवित पशु - मांस और खाद्य योग्य मांस छिछड़े - पशु उत्पत्ति के उत्पाद, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं |
| अध्याय 3 | 030,617 | - अन्य चिराट और झींगे: |
| अध्याय 4 | 0401 | - दूध और मलाई, न तो सांद्र और न ही चीनी युक्त या अन्य मीठा पदार्थ |
| | 0402 | - दूध और मलाई, सांद्र, या चीनी युक्त या अन्य मीठा पदार्थ |
| | 0403 | - छाछ, दही वाला दूध और मलाई, दही, केफिर और अन्य किण्वित या अम्लीकृत दूध और मलाई, चाहे वह सांद्र हो या नहीं चीनी युक्त या अन्यमीठी वस्तु या स्वाद या मिला हुआ पदार्थफल, नट या कोको |
| | 0404 | - मट्टा, चाहे सान्द्रित हो या नहीं या चीनी युक्त या अन्य मीठा पदार्थ; उत्पादों में प्राकृतिक दूध के घटक शामिल हैं, चाहे चीनी या अन्य मिठास युक्त पदार्थ हों या नहीं, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं |
| | 0405 | - मक्खन और दूध से प्राप्त अन्य वसा और तेल; डेयरी स्प्रेड |
| | 0406 | - पनीर और दही |
| अध्याय 7 | 0703 | - प्याज, छोटे प्याज, लहसुन, लीक और अन्य लशुनी सब्जियां, ताजा या प्रशीतित |
| अध्याय 10 | 1001, 1006 | - गेहूं और मेसलिन - चावल |
| अध्याय 13 और 14 | सभी एचएस कोड | - लाख; गोंद, रेजिन और अन्य सब्जी के रस और अर्क - वनस्पति प्लैटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं |
| अध्याय 17 | 1701, 1703 | - गन्ना या चुकंदर शर्करा और रासायनिक रूप से शुद्ध इक्षुशर्करा, ठोस रूप में – स्वाद या रंजक पदार्थ मुक्त कच्ची चीनी -शक्कर के अर्क या शोधन के परिणामस्वरूप बनने वाली गुड़ |
| अध्याय 22 और 24 | सभी एचएस कोड | - पेय पदार्थ, स्प्रिट और सिरका - तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू स्थानापन्न |

अनुबंध (2)

टीएमए के तहत प्रत्येक क्षेत्र में निर्यात स्थलों / देशों की सूची

टीएमए के तहत सहायता के लिए पात्र प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रों और निर्यात स्थलों / देशों की सूची निम्नानुसार है:

| क्षेत्र | देश का नाम |
|------------------|---|
| पश्चिमी अफ्रीका | बेनिन, माली, बुर्किना फासो, मॉरिटानिया, आइवरी कोस्ट, नाइजर, केप वर्डे, नाइजीरिया |
| यूरोपीय संघ | अल्बानिया, एंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, कोसोवो, लातविया, लिक्टेनस्टीन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मैसेडोनिया, माल्टा, मोनाको, मोटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सैन मैरिनो, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, वेटिकन सिटी |
| खाड़ी | बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात |
| उत्तरी अमेरिका | एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, कनाडा, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिका, डोमिनिकन गणराज्य, एल सल्वाडोर, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, जमैका, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विन्सेंट और ग्रेनेडाइस, त्रिनिदाद और टोबैगो, संयुक्त राज्य अमेरिका |
| आसियान | ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम |
| रूस और सी.आई.एस. | आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान |
| सुदूर पूर्व | जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया |
| ओशियाना | ऑस्ट्रेलिया, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, न्यूज़ीलैंड, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु, वानुअतु |
| चीन | पीआरसी चीन, हांगकांग, ताइवान |
| दक्षिण अमेरिका | अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, पैराग्वे, सूरीनाम, उरुग्वे, वेनेजुएला |

अनुबंध (3)

टीएमएके तहत सहायता की अंतर दर (राशि भारतीय रुपए में)

| क्षेत्र | प्रति टीईयू राशि (सामान्य) | प्रति टीईयू राशि (रीफर) | विमान से प्रति टन राशि |
|------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| पश्चिमी अफ्रीका | 11200 | 19600 | 840 |
| यूरोपीय संघ | 9800 | 21000 | 1120 |
| खाड़ी | 8400 | 14000 | 700 |
| उत्तरी अमेरिका | 21000 | 28700 | 2800 |
| आसियान | 5600 | 12600 | 700 |
| रूस और सी.आई.एस. | 12600 | 22400 | 700 |
| सुदूर पूर्व | 8400 | 12250 | 840 |
| ओशियाना | 16800 | 24500 | 2800 |

| | | | |
|----------------|-------|-------|------|
| चीन | 0 | 12600 | 840 |
| दक्षिण अमेरिका | 23800 | 31500 | 3500 |

[फा. सं. 17/3/2018-ईपी (एग्री .IV)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट – 7(क) ख

अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार की अध्यक्षता में क्षेत्रीय प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार

[कृपया पुस्तक का पैरा 7क.01(ख) देखें]

| क्र. सं. | (जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय) | क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी |
|----------|---|--|
| 1. | 1. दिल्ली 2. कानपुर 3. मुरादाबाद 4. वाराणसी 5. पानीपत 6. जयपुर | अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार सीएलए, दिल्ली |
| 2. | 1. लुधियाना 2. अमृतसर 3. चंडीगढ़ 4. जम्मू 5. श्रीनगर 6. देहरादून | अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, लुधियाना |
| 3. | 1. मुंबई 2. पुणे 3. नागपुर 4. भोपाल 5. रायपुर 6. पणजी | अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुंबई |
| 4. | 1. अहमदाबाद 2. राजकोट 3. वडोदरा 4. सूरत | अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, अहमदाबाद |
| 5. | 1. कोलकाता 2. कटक 3. गुवाहाटी 4. पटना 5. शिलांग | अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, कोलकाता |
| 6. | 1. चेन्नई 2. मदुरई 3. कोयंबटूर 4. पुडुचेरी | अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, चेन्नई |
| 7. | 1. बैंगलोर 2. कोचीन 3. तिरुवनंतपुरम | अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, बैंगलोर |
| 8. | 1. हैदराबाद 2. विशाखापट्टनम 3. विजयवाडा | अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, हैदराबाद |

एएनएफ-7 (क) क

**विशिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) के दावे हेतु आवेदन
(कृपया जो भी लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)**

(आवेदन को ऑनलाईन भरा जाएगा)

एएनएफ 7 (क)क को भरने वाले आवेदकों हेतु अनुदेश/दिशानिर्देश

- i. कृपया आवेदन भरने से पूर्व विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 7(क) और प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के अध्याय 7(क) में यथा प्रविष्ट समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 17/3/2018 ईपी (एग्री IV) दिनांक 27/2/2019 को पढ़ें।
- ii. आवेदन को अपर महानिदेशक विदेश व्यापार की अध्यक्षता में संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी www.dgft.gov.in पोर्टल पर आन लाईन भरा जाना अनिवार्य है। डीजीएफटी की वेबसाईट पर आवेदन भरते समय किसी दस्तावेज को अपलोड किया जाना अपेक्षित नहीं है। आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिनों के अंदर अपेक्षित दस्तावेजों की स्व: प्रमाणित प्रतियों के साथ अपलोड किए गए आवेदन के प्रिंट आउट को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- iii. शिपिंग बिल में यथा उल्लिखित निर्यात की तिथि पर आधारित एक लाइसेंसिंग वर्ष में अलग-अलग तिमाही हेतु अलग-अलग आवेदन किए जाने अपेक्षित हैं। आवेदन को तिमाही के पूरा होने के एक वर्ष के अंदर भरा जा सकता है, इसके बाद आवेदन कालातीत हो जाएगा।
- iv. स्कीम संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद में विधिवत पंजीकृत सभी निर्यातकों के लिए उपलब्ध है।
- v. उक्त अधिसूचना के अनुलग्नक (2) में यथा अधिसूचित गंतव्यों/देशों को वाणिज्य विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुलग्नक (1) में उल्लिखित को छोड़कर समुद्री और रोपण उत्पादों सहित एचएसएन अध्याय 1 से 24 में शामिल सभी कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु सहायता उपलब्ध है।
- vi. सहायता प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से नकद उपलब्ध कराई जाएगी।
- vii. सहायता का स्तर उक्त अधिसूचना के अनुलग्नक (3) में यथा अधिसूचित भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न होगा।
- viii. स्कीम हवाई और समुद्री रास्ते से (सामान्य और रीफर कार्गो दोनों से) निर्यात हेतु मालभाड़ा और विपणन सहायता को शामिल करती है।
- ix. टीएमए एक पूरे बीस फीट समतुल्य इकाई (टीईयू) कंटेनरों हेतु भुगतान किए जाने वाले मालभाड़ा पर आधारित होगा। चालीस फीट के कंटेनर को दो टीईयू माना जाएगा।
- x. स्कीम कंटेनर के लोड से कम (एलसीआई) पात्र और अपात्र दोनों कार्गो श्रेणी के कंटेनरों तथा बल्क/ब्रेक बल्क मोड के कार्गो हेतु उपलब्ध नहीं है।
- xi. हवाई रास्ते से निर्यातित उत्पादों हेतु सहायता निर्यात कार्गो के निवल वजन पर प्रति टन माल भाड़े के प्रभारों पर आधारित होगी जिसका परिकलन पूर्ण टन के आधार पर इसके किसी भी हिस्से को अनदेखा न करते हुए किया गया हो।
- xii. स्कीम वाणिज्य विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुलग्नक (1) में अपात्र के रूप में अधिसूचित उत्पादों के निर्यात हेतु उपलब्ध नहीं है। इसी तरह, वाणिज्य विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 7 में अपात्र के रूप में अधिसूचित निर्यात की कुछ श्रेणियों पर भी सहायता उपलब्ध नहीं है।
- xiii. एफओबी आपूर्तियां जिनमें भारतीय निर्यातकों द्वारा भाड़े का भुगतान नहीं किया गया है, को इस स्कीम के तहत शामिल नहीं किया जाता है।
- xiv. स्कीम केवल ईडीआई पत्तनों के माध्यम से किए गए निर्यात हेतु स्वीकार्य है।
- xv. आवेदक को एक बार में निर्यात के एक खेप/शिपिंग बिल/एयर वे बिल के ब्यौरे को चुनने/वर्णन करने की आवश्यकता है।

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|------------|
| | | | | | | गया है (हां/नहीं) | (हां/नहीं) |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|
| भुगतान किया गया कुल भाड़ा (भारतीय रुपये में) | पात्रता की दर (**) | पात्रता की राशि (भारतीय रुपए में) | निवल पात्रता (रुपयें में) | टिप्पणी |
| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | | | |

(ख) एयरवे से निर्यात हेतु

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| क्र सं. | एयरवे बिल संख्या | एयरवे बिल तारीख | किए गए निर्यात के आधार पर एफओबी/सीआईएफ | निर्यात का पत्तन | फ्लाइट (सं) | फ्लाइट (दिनांक) | मद संख्या | आईटीसी एचएस कोड |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| उत्पाद विवरण | (*) निर्यात का क्षेत्र | (*) निर्यात का देश | निर्यात का एफओबी रुपये में | निर्यात माल का निवल भार कि० ग्रा० मे | निर्यात माल का निवल भार टन में | क्या पूर्ण रुप से भुगतान प्राप्त किया गया है (हां/नहीं) |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------|
| क्या मुक्त रुप से हस्तांतरणीय मुद्रा मे भुगतान प्राप्त किया गया है (हां/नहीं) | भुगतान किया गया भाड़ा रुपयें मे | (**) पात्रता का दर | पात्रता रुपयें में | निवल पात्रता रुपये में | टिप्पणी |
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | | | | |

(*) कृपया समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27.02.2019 की वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 17.03.2018-ईपी (कृषि iv) के अनुलग्नक (2) का संदर्भ ले।

(**) कृपया समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 27.02.2019 की वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 17.03. 2018-ईपी(कृषि iv) के अनुलग्नक (3) का संदर्भ ले।

घोषणा/वचनबद्धता

- मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि:
क. फर्म जिसके लिए आवेदन किया गया है, को निम्नलिखित किसी भी अधिनियम (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन दण्डित नहीं किया गया है:
(i) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944

- (iii) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
 - (iv) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992
 - (v) विदेश मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999
 - (vi) विदेश मुद्रा संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974
- ख. कम्पनी/फर्म/एचयूएफ/न्यास (जैसा भी मामला हो) का कोई भी निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी/फर्म/एचयूएफ/न्यासी किसी अन्य कम्पनी/फर्म/संस्था, जो डीजीएफटी की अपात्र घोषित सूची (डीईएल) में, है, का निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी नहीं है।
- ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय (यों)/यूनिट(टों)/डिविजन(नों) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है।

2. मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि

- (i) इस आवेदन में मौजूदा रूप से शामिल शिपिंग बिलों/एयरवे बिल के मद्दे टीएमए के अंतर्गत पूर्व में कोई लाभ प्राप्त (अथवा इसके लिए आवेदन) नहीं किया गया है।
- (ii) निर्यात उत्पाद जिसके लिए टीएमए का दावा किया जा रहा है, वास्तव में मेरे द्वारा निर्यात किया गया है तथा मेरे द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त किया जाता है।
- (iii) किसी भी खेप जिनके संबंध में इस आवेदन में दावा किया जाता है, को तदोपरांत ग्राहक द्वारा वापस नहीं किया गया है। यदि इसे भविष्य में वापस किया जाता है तो मैं प्रदान की गई राशि को प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 7(क) 03 के अंतर्गत यथा निर्धारित ब्याज समेत रिफंड करने का वचन देता हूँ।
- (iv) मैंने केवल अधिसूचित बाजारों में पात्र उत्पादों के निर्यात हेतु टीएमए का दावा किया है।
- (v) इस आवेदन में ऐसे कोई निर्यात उत्पाद नहीं हैं जो समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 17/03/2018-ईपी (कृषि IV) दिनांक 27.02.2019 के अनुलग्नक (i) में यथा विनिर्दिष्ट टीएमए के अंतर्गत अपात्र हों।
- (vi) इस आवेदन में कोई निम्नलिखित श्रेणियां/क्षेत्र नहीं हैं जो समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 17/03/2018-ईपी (कृषि IV) दिनांक 27.02.2019 के पैरा 7 के अनुसार अपात्र के रूप में सूचीबद्ध हों:-
 - (क) एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/एफटीडब्ल्यूजेड से निर्यातित उत्पाद
 - (ख) डीटीए इकाईयों के माध्यम से निर्यातित एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/ एफटीडब्ल्यूजेड उत्पाद।
 - (ग) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.46 के अंतर्गत शामिल आयातित उत्पादों का निर्यात।
 - (घ) ट्रांस शिपमेंट के माध्यम से निर्यात अर्थात् तृतीय देश में उत्पन्न निर्यात परंतु जिसे भारत के माध्यम से ट्रांस-शिप किया जाता है।
 - (ङ) जब तक विशिष्ट रूप से अधिसूचित न हों, मर्दे जो आईटीसी (एचएस) में निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अंतर्गत निर्यात हेतु प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हैं।
 - (च) जब तक विशिष्ट रूप से अधिसूचित न हों निर्यात उत्पाद जो न्यूनतम निर्यात मूल्य अथवा निर्यात शुल्क के अधीन हैं।
 - (छ) ई-कॉमर्स का उपयोग करते हुए कोरियर अथवा विदेशी डाकखानों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात।

- (vii) इस आवेदन में दावा अधिसूचित दरों तक सीमित है तथा वास्तविक रूप में भुगतान किए गए माल-भाडे से अधिक नहीं है।
- (viii) दावा केवल ईडीआई पत्तनों के माध्यम से सीआईएफ आधार पर किए गए शिपमेंटों के लिए किया गया है। पोत पर्यन्त निशुल्क (एफओबी) आधार पर किए गए शिपमेंटों के लिए कोई दावा नहीं किया गया है।
- (ix) यदि शिपमेंट समुद्र द्वारा किया गया है दावा 20 फीट समतुल्य इकाई (टीईयू) कंटेनरों अथवा दो टीईयू के समतुल्य 40 फीट के कंटेनरों में शिप किए गए केवल पूर्ण कंटेनर लोड (एफसीएल) हेतु किया गया है, यदि शिपमेंट हवाई रास्ते से किया गया है, बहु मीट्रिक टन (इसके किसी हिस्से को अनदेखा करते हुए) हेतु किया गया है। कंटेनर लोड से कम (एलसीएल) शिपमेंटों/पात्र और अपात्र कार्गो वाले शिपमेंटों को आवेदन में शामिल नहीं किया गया है।
- (x) बल्क/ब्रेक बल्क तरीके से शिप किए गए कार्गो के निर्यात हेतु कोई दावा नहीं किया जाता है।
- (xi) यह तिमाही हेतु एक अनुपूरक आवेदन नहीं है जिसमें टीएमए दावा पहले किया जा चुका है।
3. मैं/ हम विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक के तहत बने नियमों व आदेशों, और समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992, के प्रावधानों का पालन करने की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।
4. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक हैं तथा इसमें कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है। मैं/हम पूर्णतया यह समझते हैं कि यदि इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत कोई सूचना असत्य या झूठी पायी जाती है तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कारवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जो विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
5. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.06 के अनुसार मैं इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।
6. मैं पूर्णतया समझता हूँ कि आरए अथवा कोई अन्य एजेन्सी किसी भी समय, मुझे दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कह सकती है जिसके आधार पर सहायता प्रदान की गई थी और जिनकी मूल प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई थी। मैं घोषणा करता हूँ कि ऐसे विवरण/दस्तावेज मेरी तरफ से किसी भी विलंब के बिना प्रदान किए जाएंगे। यदि मैं इस तरह के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाता हूँ, तो मैं घोषणा करता हूँ कि ऐसी सहायता की तिथि से सहायता की राशि निर्धारित दर पर ब्याज के साथ नकद में वापस करूंगा और एफटीडीआर अधिनियम के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी रहूंगा।
- घोषणा पत्र/वचनबद्धता की स्वीकृत के रूप में बॉक्स में सही का निशान (✓) लगाएं और नीचे दिए गए विवरण को भरें।

आवेदक के हस्ताक्षर

एनएफ 7 (क)क का अनुलग्नक क—मूल प्रति प्रस्तुत की जाए

सनदी लेखाकर (सीए)/लागत एवं कार्य लेखाकार (आईसीडब्ल्यूए)/कम्पनी सचिव
(सीएस) का प्रमाण पत्र

मैंने मैसर्स जिसकी आईसीसी संख्या है का विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) के संबंध में से तक की अवधि के लिए रु० के दावे के संबंध में विहित रजिस्ट्रों एवं संगत रिकॉर्ड की जांच कर ली है और मैं प्रमाणित करता हूँ कि

1. बिल, बीजक, फारवर्ड इन्वर्ड रिमिटेन्स सर्टिफिकेट (एफआईआरसी) बैंक वसूली प्रमाण पत्र, अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड कम्पनियों से प्रमाण पत्र और विदेशी मुद्रा में आय के प्रमाण मेरे द्वारा जांचे एवं सत्यापित किए गए हैं।
2. दावा समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य विभाग की दिनांक 27.02.2019 की अधिसूचना सं. 17/3/2018 ईपी (कृषि-IV) के अनुलग्नक(2) के अनुसार और उक्त अधिसूचना के अनुलग्नक(3) में अधिसूचित दरों पर पात्र उत्पादों के लिए टीएमए में सूचीबद्ध विशिष्ट माल/श्रेणी के निर्यात तथा अधिसूचित बाजारों को किए गए निर्यात के अनुसार है।
3. मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि
 - (i) इस प्रमाणपत्र में मौजूदा रूप से शामिल शिपिंग बिलों/एयरवे बिल के मद्दे टीएमए के अंतर्गत पूर्व में कोई लाभ प्राप्त (अथवा इसके लिए आवेदन) नहीं किया गया है।
 - (ii) निर्यात उत्पाद जिसके लिए टीएमए का दावा किया जा रहा है, वास्तव में आवेदक द्वारा निर्यात किया जाता है तथा आवेदक द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त किया जाता है।
 - (iii) किसी भी खेप जिनके संबंध में इस आवेदन में दावा किया जाता है, को तदोपरान्त ग्राहक द्वारा वापस नहीं किया गया है।
 - (iv) दावा अधिसूचित बाजारों तक पात्र कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए स्कीम के अंतर्गत ही किया जाता है।
 - (v) दावे में ऐसे कोई निर्यात उत्पाद नहीं हैं जो समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 17/03/2018-ईपी (कृषि IV) दिनांक 27.02.2019 के अनुलग्नक (i) में यथा विनिर्दिष्ट टीएमए के अंतर्गत अपात्र हों।
 - (vi) दावे में कोई निम्नलिखित श्रेणी/क्षेत्र नहीं हैं जो समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 17/03/2018-ईपी (कृषि IV) दिनांक 27.02.2019 के पैरा 7 के अनुसार अपात्र के रूप में सूचीबद्ध हों:-
 - (क) एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/एफटीडब्ल्यूजेड से निर्यातित उत्पाद
 - (ख) डीटीए इकाईयों के माध्यम से निर्यातित एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/ एफटीडब्ल्यूजेड उत्पाद।
 - (ग) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.46 के अंतर्गत शामिल आयातित उत्पादों का निर्यात।
 - (घ) ट्रांस शिपमेंट के माध्यम से निर्यात अर्थात् तृतीय देश में उत्पन्न निर्यात परंतु जिसे भारत के माध्यम से ट्रांस-शिप किया जाता है।
 - (ङ) जब तक विशिष्ट रूप से अधिसूचित न हो, मर्दे जो आईटीसी (एचएस) में निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अंतर्गत निर्यात हेतु प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हैं।
 - (च) जब तक विशिष्ट रूप से अधिसूचित न हों निर्यात उत्पाद जो न्यूनतम निर्यात मूल्य अथवा निर्यात शुल्क के अधीन हैं।
 - (छ) ई-कॉमर्स का उपयोग करते हुए कोरियर अथवा विदेशी डाकखानों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात।
 - (vii) इस आवेदन में दावा अधिसूचित दरों तक सीमित होता है तथा वास्तविक रूप में भुगतान किए गए माल-भाडे से अधिक नहीं है।
 - (viii) दावा केवल ईडीआई पत्तनों के माध्यम से सीआईएफ आधार पर किए गए शिपमेंटों के लिए किया गया है। पोत पर्यन्त निशुल्क (एफओबी) आधार पर किए गए शिपमेंटों के लिए कोई दावा नहीं किया जाता है।

(ix) यदि शिपमेंट समुद्र द्वारा किया गया है दावा 20 फीट समतुल्य इकाई (टीईयू) कंटेनरों अथवा दो टीईयू के समतुल्य 40 फीट के कंटेनरों में शिप किए गए केवल पूर्ण कंटेनर पर लोड (एफसीएल) हेतु किया गया है, यदि शिपमेंट हवाई रास्ते से किया गया है, बहु मीट्रिक टन (इसके किसी हिस्से को अनदेखा करने पर) हेतु किया गया है। कंटेनर लोड से कम (एलसीएल) शिपमेंटों/पात्र और अपात्र कार्गो वाले शिपमेंटों को आवेदन में शामिल नहीं किया गया है।

(x) बल्क/ब्रेक बल्क तरीके से शिप किए गए कार्गो के निर्यात हेतु कोई दावा नहीं किया जाता है।

(xi) यह तिमाही हेतु एक अनुपूरक आवेदन नहीं है जिसमें टीएमए दावा पहले किया जा चुका है।

4. न मैं और न ही मेरा/हमारे सहभागी उपर्युक्त कंपनी, इसकी समूह कंपनियों अथवा इसकी संबद्ध फर्मों के सहभागी हैं।
5. आवेदन में उल्लिखित निर्यात ब्यौरे को निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:—
6. निर्यात का विवरण: (प्रत्येक शिपमेंट हेतु अलग प्रविष्टि की जानी चाहिए)

(क) समुद्र मार्ग से निर्यात हेतु

| क्र. सं० | शिपिंग सं. बिल | शिपिंग बिल की तारीख | किए गए निर्यात के आधार पर एफओबी/सीआईएफ | निर्यात का पत्तन | मद संख्या | आईटीसी एचएस कोड | उत्पाद विवरण | (*) निर्यात का क्षेत्र |
|----------|----------------|---------------------|--|------------------|-----------|-----------------|--------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |

| (*) निर्यात का देश | निर्यात का एफओबी रुपये में | कंटेनर का आकार (20/40 फीट) | कंटेनर की संख्या | कंटेनर का प्रकार सामान्य/रीफर | कंटेनर विवरण (संख्या आदि) | क्या पूर्ण रूप से भुगतान प्राप्त किया गया है (हां/नहीं) | क्या मुक्त रूप से हस्तांतरणीय मुद्रा में पूरा भुगतान प्राप्त किया गया है (हां/नहीं) |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | | | | |

| भुगतान किया गया कुल भाड़ा (भारतीय रुपये में) | पात्रता की दर (**) | पात्रता की राशि (भारतीय रुपये में) | निवल पात्रता (रुपयें में) | टिप्पणी |
|--|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|
| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | | | |

(ख) एयरवे से निर्यात हेतु

| क्र सं. | एयरवे बिल संख्या | एयरवे बिल तारीख | किए गए निर्यात के आधार पर एफओबी/सीआईएफ | निर्यात का पत्तन | फ्लाइट (सं) | फ्लाइट (दिनांक) | मद संख्या | आईटीसी एचएस कोड |
|---------|------------------|-----------------|--|------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |

| उत्पाद विवरण | (*) निर्यात का क्षेत्र | (*) निर्यात का देश | निर्यात का एफओबी रुपये में | निर्यात माल का निवल भार कि० ग्रा० में | निर्यात माल का निवल भार टन में | क्या पूर्ण रूप से भुगतान प्राप्त किया गया है (हां/नहीं) |
|--------------|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | |

| क्या मुक्त रूप से हस्तांतरणीय मुद्रा मे भुगतान प्राप्त किया गया है (हां/नही) | भुगतान किया गया भाडा रुपयें मे | (**) पात्रता का दर | पात्रता रुपयें में | निवल पात्रता रुपये में | टिप्पणी |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | | | | |

(*) कृपया समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27.02.2019 की वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 17.03.2018- ईपी (कृषि iv) के अनुलग्नक (2) का संदर्भ ले।

(**) कृपया समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 27.02.2019 की वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 17.03.2018-ईपी(कृषि iv) के अनुलग्नक (3) का संदर्भ ले।

मुझे पूर्णतया समझता हूं कि इस प्रमाण पत्र में कोई भी कथन यदि गलत या मिथ्या साबित होता है, तो मैं कोई दंडात्मक कार्रवाई या विधि के अनुसार विहित अन्य परिणाम या अन्यथा अनुबद्ध के लिए उत्तरदायी रहूंगा।

सनदी लेखाकार/आईसीडब्ल्यूए/कंपनी सचिव के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

पदनाम

सदस्यता सं.

कार्यालय का पता

प्लॉट/प्लॉट/ब्लॉक सं.

गली/क्षेत्र/मुहल्ला

शहर

राज्य

पिन कोड

टेलीफोन.

देश

कोड क्षेत्र कोड..... फोन नम्बर

फैक्स सं.

ई-मेल:

स्थान:

दिनांक:

एएनएफ का अनुलग्नक (ख) एनएफ 7(क)क-प्रस्तुत की जाने वाली स्वप्रमाणित प्रतिलिपि

उत्तराई प्रमाण पत्र

जिस किसी से भी यह संबंधित है

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मेसर्स..... जिनका आईई कोड..... है ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्यात किया है:-

| क्र.सं. | शिपिंग बिल / एयरवे बिल सं. | दिनांक | पोत लदान | भेजने वाला पोत | अंतिम गंतव्य का देश | माल पहुँचने की / सुपुर्दगी की तारीख |
|---------|----------------------------|--------|----------|----------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

हम मैसर्स एक्स वाई जेड प्रा.लि. माल खोज दस्तावेज के जारी होने की तिथि पर संबंधित माल के अधिकृत एजेंट हैं। हमने यह जांच कर ली है कि संबंधित अधिसूचित बाजार में माललदान का यह प्रमाण मालवाहक बैकअप में उपलब्ध सूचना पर आधारित है और हमने तदनुसार यह दस्तावेज जारी किया है।

एक्स वाई जेड प्रा.लि. के लिए

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम:

पदनाम:

स्थान:

दिनांक:

पूर्ण-प्राप्ति

वित्तीय वर्ष के लिए तिमाही () में मेरे द्वारा किए गए निर्यात के लिए ईकाम सं के तहत प्रस्तुत आवेदन के लिए समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य विभाग की दिनांक 27.02.2019 की अधिसूचना सं. 17/03/2018 ईपी (कृषि IV) के अनुसार विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) हेतु मेरे बैंक खाते में (आवेदन में प्रदत्त ब्योरे के अनुसार) रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

(आवेदक का हस्ताक्षर)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE OF GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th March, 2019

No. 82 /2015.2020

Subject : Procedure and ANF for availing Transport and Marketing Assistance (TMA) for Specified Agriculture Products –regd.

F. No. 01/92/180/56/AM19/PC-VI.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby notifies Chapter 7(A) of the Handbook of Procedures and the Aayat Niryat Form-7(A)A pertaining to this Chapter for availing Transport and Marketing Assistance (TMA) for Specified Agriculture Products.

2. Text of chapter 7(A) of Handbook of Procedures 2015-2020 and Aayat Niryat Form-7(A)A are annexed to this Public Notice.

Effect of this Public Notice: Procedure and Aayat Niryat Form to avail Transport and Marketing Assistance (TMA) for Specified Agriculture Products are notified .

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

CHAPTER 7(A)

TRANSPORT AND MARKETING ASSISTANCE FOR SPECIFIED AGRICULTURE PRODUCTS SCHEME

7(A).00 Policy

Policy relating to Transport and Marketing Assistance (TMA) for Specified Agriculture Products scheme is given in Chapter 7(A) of FTP 2015-20. A copy of Department of Commerce's Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019 is given in **Appendix-7(A)A**.

7(A).01 Procedure for claiming Transport and Marketing Assistance

- (a) Application for claiming assistance under this scheme can be filed by registered and eligible exporter, having a valid RCMC issued by the Competent Authority.
- (b) The application can be made by Corporate office/Registered office / Head office / Branch office or Manufacturing unit. Application for TMA would be filed to the RAs headed by Additional DGFT. Applicant shall have option to choose Jurisdictional RA headed by Additional DGFT on the basis of address of its Corporate office/Registered office / Head office / Branch office or Manufacturing unit. Jurisdiction of RA headed by Addl. DGFT is specified in **Appendix-7(A)B**. The option of the RA needs to be exercised while making first application under this scheme. Once an option is exercised, no change would be allowed for further claims under the scheme.
- (c) The application shall be filled up online on DGFT's website (<http://dgft.gov.in/>) alongwith the application fee as prescribed in **Appendix-2K**. A physical pdf copy of the print out of **ANF-7(A)A** along with prescribed documents shall also be filed manually with RA concerned within 30 days. Login procedure for entering into the application shall be the same as for other ECOM applications. A File number will be generated by the website on completion of successful submission of application.
- (d) Application(s) for claim of TMA will be made on quarterly basis i.e. for the shipments made in a particular quarter. Online claims should be filed within a period of one year from the completion of the quarter in which exports have been made. For example, for the exports made in the quarter April to June, 2019; the claim can be filed by 30.6.2020. Similarly, applications for the claim for 1.3.2019 to 31.3.2019 can be filed upto 31.3.2020.
- (e) TMA claim would be available on shipment basis. All claims for shipments made in a particular quarter should be bunched together and submitted as a single application along with Chartered Accountant (CA) / Cost and Works Accountant (ICWA)/ Company Secretary (CS) certificate in the format as given in Annexure A to ANF-7(A)A.
- (f) Non-submission of the physical copy of the application alongwith prescribed documents within 30 days after filing online, incomplete or deficient applications shall result in non-acceptance of application by DGFT and shall be rejected.

7(A).02 Documents Required

All applications should be submitted in ANF-7(A)A (duly filled up online) along with copies of following documents duly self certified:

- (i) EP copy of shipping bill(s)/Airway bill(s);
- (ii) Commercial Invoice;
- (iii) On board Bill of Lading, in case of shipment by sea;
- (iv) Certificate of Chartered Accountant (CA) / Cost and Works Accountant (ICWA)/ Company Secretary (CS) as per Annexure A to ANF-7(A)A.
- (v) Proof of landing as per Annexure B to ANF-7(A)A.

Exporters may refer to the instruction/guidelines given in Application form before filing online application and submitting physical copy with RA.

7(A).03 Other Conditions

- (a) The assistance shall be paid only to the exporter exporting the cargo and in whose name payment is realized in free foreign exchange through normal banking channels. The assistance will not be provided to the products notified as ineligible in Annexure (1) of DoC's Notification no. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019, as amended from time to time. Similarly, the assistance is also not available for certain categories of exports notified as ineligible in para 7 of above said DoC's Notification.
- (b) The assistance would be given for export of eligible agriculture products to the destinations/countries as mentioned in Annexure (2) of DoC's above said Notification.
- (c) The assistance is limited to the rates as notified in Annexure (3) of DoC's above said Notification.
- (d) FOB supplies where no freight is paid by Indian exporters are not covered under this scheme.
- (e) The scheme is admissible for the exports made through EDI ports only.
- (f) Claim should be made only for Full Container Loads (FCLs) in case of shipment by sea and in the multiple of metric ton (ignoring any fraction thereof) in case of shipment by air. A forty feet container will be treated as two TEUs. Less than Container Load (LCL) shipments/ twenty-foot equivalent unit (TEU) containing eligible and ineligible cargo should not be included in the application.
- (g) In case, the consignment in respect of which claim is taken is subsequently returned by the customer, the applicant would be liable to refund the assistance granted with interest at the rate of 15% per annum.
- (h) No application can be made after completion of one year of the quarter in which exports have been made. Hence, provisions of late cut as defined in para 9.02 of HBP and provisions of supplementary claims as given in para 9.03 of HBP are not applicable on this scheme.

7(A).04 Deficiency in the application

Deficiency in the application, if any, shall be communicated by the concerned RA to the exporter. Application submitted or completed beyond the prescribed last date would be summarily rejected.

7(A).05 Audit mechanism

- (a) 10% of the cases in which benefit(s) under this chapter has/have already been granted, would be selected on random basis. Where ever required, RA may call for original documents for verification. Failure to submit documents in original would make applicant liable to refund the assistance along with interest, from the date of issuance of assistance.
- (b) In case any discrepancy and/or over claim is found on such examination, the applicant shall be under obligations to rectify such discrepancy and /or refund the excess claimed with interest at the rate of 15% per annum on the recoverable amount within one month. Cases of fraud, misrepresentation/ misdeclaration, falsification and fabrication of documents or other wilful default would be dealt as per penal provisions of the FTP/FT(D&R)Act 1992/FT(R) Rules 1993,
- (c) The RA may also reassess any case, where any erroneous/in-eligible payment has been made/claimed. RA will take necessary action for recovery of excess obtained along with interest at the rate of 15% per annum on the recoverable amount.
- (d) In addition, Where ever required, RA may also cross check the facts/documents as submitted by exporter with the concerned issuing authority.

7(A).06 Miscellaneous

Any dues/recovery under the FTP/HBP, FT(D&R) Act 1992/FT(R) Rules 1993, would be deductible from the approved/future claims of TMA.

Appendix-7(A)A

(Department of Commerce's Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019)

[Please see para 7A.00 of HBP]

MINISTRY OF COMMERCE
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
New Delhi, the 27th February 2019

No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) – The Central Government has approved a scheme titled Transport and Marketing Assistance (TMA) for Specified Agriculture Products.

2. Introduction and Objective

- (i) The “Transport and Marketing Assistance” (TMA) for specified agriculture products scheme aims to provide assistance for the international component of freight and marketing of agricultural produce which is likely to mitigate disadvantage of higher cost of transportation of export of specified agriculture products due to trans-shipment and to promote brand recognition for Indian agricultural products in the specified overseas markets.
- (ii) The scheme would be suitably included in the Foreign Trade Policy (2015-20).

3. Coverage

- (a) All exporters, duly registered with relevant Export Promotion Council as per Foreign Trade Policy, of eligible agriculture products shall be covered under this scheme.
- (b) The assistance, at notified rates, will be available for export of eligible agriculture products to the permissible countries, as specified from time to time.

4. Applicability: The Scheme would be applicable for a period as specified from time to time. Presently the Scheme would be available for exports effected from 1.3.2019 to 31.03.2020

5. Eligibility of Products: The assistance will be provided on export of all agriculture products covered in HSN chapter 1 to 24 including marine and plantation products except those mentioned in Annexure (1).

6. Pattern of Assistance

- (a) Assistance under TMA would be provided in cash through direct bank transfer as part reimbursement of freight paid. FOB supplies where no freight is paid by Indian exporters are not covered under this scheme.
- (b) The level of assistance would be different for different regions as notified from time to time for export of eligible products. List of export destinations/countries in each region eligible for assistance under TMA are mentioned in **Annexure (2)**.
- (c) The assistance shall be admissible only if payments for the exports are received in Free Foreign Exchange through normal banking channels.
- (d) The scheme shall be admissible for the exports made through EDI ports only.
- (e) The scheme covers freight and marketing assistance for export by air as well as by sea (both normal and reefer cargo).
- (f) For export of products by sea, TMA will be based on the freight paid for a full Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) containers. The assistance will not be available for (i) Less than Container Load (LCL) and (ii) a container having both eligible and ineligible category of cargo. Further, no TMA is available where the cargo is shipped in bulk/break bulk mode. A forty feet container will be treated as two TEUs.
- (g) Assistance for products exported by air would be based on per ton freight charges on net weight of the export cargo, calculated on the full ton basis, ignoring any fraction thereof.
- (h) The assistance will be provided at the rates as notified in **Annexure 3**.

7. Categories of export ineligible for TMA

The following exports categories / sectors shall be ineligible under this scheme:

- (i) Products exported from SEZs/ EOUs/ EHTPs/ STPs/ BTPs/ FTWZs
- (ii) SEZ/EOU/EHTPs/STPs/BTPs/FTWZs products exported through DTA units
- (iii) Export of imported goods covered under paragraph 2.46 of the FTP;
- (iv) Exports through trans-shipment, i.e. exports that are originating in third country but trans- shipped through India;

- (v) Items, which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS), unless specifically notified.
- (vi) Export products which are subject to Minimum Export Price or export duty, unless specifically notified.
- (vii) Export of goods through courier or foreign post offices using e-Commerce

8. Procedure for Availing Assistance under the Scheme

TMA would be reimbursed through the Regional Authorities of DGFT as per the procedure laid down in Chapter 7(A) of Handbook of Procedures (2015-2020).

9. Mechanism for Scrutiny of the claims, audit, recovery and penal action.

DGFT will lay down procedure for scrutiny of the claims, audit of the payments made, recovery of the ineligible/excess paid assistance, interest on such recoveries. The defaulters shall be liable for penal action under the provisions of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, Rules and orders made thereunder.

Annexure (1)

List of agriculture products not eligible under TMA

The assistance will be provided for all agriculture products covered under HSN chapter 1 to 24, with the following exceptions:

| Chapter | HS Codes | Description |
|-------------------|--------------|---|
| Chapters 1, 2 & 5 | All HS Codes | - Live animals - Meat and Edible Meat Offal - Products of Animal Origin, not elsewhere specified or included |
| Chapter 3 | 030617 | - Other shrimps and prawns : |
| Chapter 4 | 0401 | -Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter |
| | 0402 | - Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter |
| | 0403 | - Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa |
| | 0404 | - Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included |
| | 0405 | - Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads |
| | 0406 | - Cheese and curd |
| Chapter 7 | 0703 | - Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled |
| Chapter 10 | 1001, | -Wheat And Meslin |
| | 1006 | -Rice |
| Chapters 13 & 14 | All HS Codes | - Lac; Gums, Resins and other Vegetable Saps and Extracts - Vegetable Plaiting Materials; Vegetable Products not elsewhere specified or |

| Chapter | HS Codes | Description |
|--------------------|---------------|--|
| | | included |
| Chapter 17 | 1701, 1703 | -Cane Or Beet Sugar And Chemically Pure Sucrose, In Solid Form - Raw Sugar Not Containing Added Flavouring Or Colouring Matter ; -Molasses resulting from the extraction or refining of sugar |
| Chapters 22 and 24 | All HS Codes | - Beverages, Spirits and Vinegar - Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes |

Annexure (2)

List of Export destinations/countries in each region under TMA

List of Regions and Export destinations/countries in each region eligible for assistance under TMA are as under:

| Region | Country Name |
|---------------|---|
| West Africa | Benin, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Ivory Coast, Niger, Cape Verde, Nigeria |
| EU | Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, Vatican City |
| Gulf | Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates |
| North America | Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, United States of America |
| ASEAN | Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam |
| Russia & CIS | Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan |
| Far East | Japan, North Korea, South Korea |
| Oceania | Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu |
| China | PRC China, Hong Kong, Taiwan |
| South America | Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Paraguay, Suriname, Uruguay, Venezuela |

Annexure (3)**Differential rate of assistance under TMA (Amount in Indian Rupees)**

| Region | Amount Per TEU (Normal) | Amount Per TEU (Reefer) | By Air Amount per tonne |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| West Africa | 11200 | 19600 | 840 |
| EU | 9800 | 21000 | 1120 |
| Gulf | 8400 | 14000 | 700 |
| North America | 21000 | 28700 | 2800 |
| ASEAN | 5600 | 12600 | 700 |
| Russia & CIS | 12600 | 22400 | 700 |
| Far East | 8400 | 12250 | 840 |
| Oceania | 16800 | 24500 | 2800 |
| China | 0 | 12600 | 840 |
| South America | 23800 | 31500 | 3500 |

[F. No. 17/3/2018-EP (Agri. IV)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Appendix-7(A)B**Jurisdiction of RA headed by Addl. DGFT**

[Please see para 7A.01(b) of HBP]

| Sl. No. | (Zonal/ Regional Offices) | Jurisdictional RA |
|----------------|---|---------------------------------|
| 1. | 1. Delhi 2. Kanpur 3. Moradabad 4. Varanasi 5. Panipat 6. Jaipur | Additional DGFT, CLA, Delhi. |
| 2. | 1. Ludhiana 2. Amritsar 3. Chandigarh 4. Jammu 5. Srinagar 6. Dehradun | Additional DGFT, Ludhiana. |
| 3. | 1. Mumbai 2. Pune 3. Nagpur | Additional DGFT, Mumbai. |

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| | 4. Bhopal 5. Raipur 6. Panjim | |
| 4. | 1. Ahmedabad 2. Rajkot 3. Vadodara 4. Surat | Additional DGFT, Ahmedabad. |
| 5. | 1. Kolkata 2. Cuttack 3. Guwahati 4. Patna 5. Shillong | Additional DGFT, Kolkata. |
| 6. | 1. Chennai 2. Madurai 3. Coimbatore 4. Puducherry | Additional DGFT, Chennai. |
| 7. | 1. Bangalore 2. Cochin 3. Thiruvanthapuram | Additional DGFT, Bangalore. |
| 8. | 1. Hyderabad 2. Vishakhapatnam 3. Vijayawada | Additional DGFT, Hyderabad. |

ANF-7(A)A**APPLICATION FOR CLAIM OF TRANSPORT AND MARKETING ASSISTANCE (TMA) FOR SPECIFIED AGRICULTURE PRODUCTS****(Please tick whichever is applicable)**

(Application shall be filed online)

Instructions/ Guidelines for the Applicants filing ANF 7(A)A

- i. Kindly read DoC's Notification no. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019, as amended from time to time, as inserted in Chapter 7(A) of FTP, 2015-20 and Chapter 7(A) of HBP, 2015-20 before filing application.
- ii. It is mandatory to apply online at the www.dgft.gov.in portal with concerned Jurisdictional RA headed by Addl. DGFT. No document is required to be uploaded while filing the application on DGFT's website. A printout of the uploaded application alongwith the self certified copies of the requisite documents should be submitted to the concerned RA within 30 days of submission of online application.
- iii. Separate applications are required to be filed for separate quarters in a Licensing year based on date of export as mentioned in Shipping Bill. The application can be filed within one year of completion of a quarter after that the application would become time barred.
- iv. The scheme is available to all exporters, duly registered with relevant Export Promotion Council.
- v. The assistance is available for export of all agriculture products covered in HSN chapter 1 to 24 including marine and plantation products except those mentioned in Annexure (1) of the DoC's above said notification to destinations/countries as notified in Annexure (2) of the said notification.
- vi. The Assistance would be provided in cash through direct bank transfer.

- vii. The level of assistance would be different for different regions as notified in Annexure (3) of the said notification.
- viii. The scheme covers freight and marketing assistance for export by air as well as by sea (both normal and reefer cargo).
- ix. TMA will be based on the freight paid for a full Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) containers. A forty feet container will be treated as two TEUs.
- x. The scheme is not available for Less than Container Load (LCL); container having both eligible and ineligible category of cargo and for the cargo if shipped in bulk/break bulk mode.
- xi. Assistance for products exported by air would be based on per ton freight charges on net weight of the export cargo, calculated on the full ton basis, ignoring any fraction thereof.
- xii. The scheme is not available for export of products notified as ineligible in Annexure (1) of DoC's above said Notification. Similarly, the assistance is also not available for certain categories of exports notified as ineligible in para 7 of above said DoC's Notification.
- xiii. FOB supplies where no freight is paid by Indian exporters are not covered under this scheme.
- xiv. The scheme is admissible for the exports made through EDI ports only.
- xv. The applicant need to select/feed the details of one consignment/shipping bill of export/airway bill at a time.
- xvi. The Applicants are required to submit the original copies of CA Certificate (Annexure A) and Proof of landing certificate for all exports in the application for exports made (Annexure B).

Part A

| | | |
|----|--|--|
| 1. | IEC No | |
| 2. | Applicant details: (i) Name of the firm/company (ii) Full address (iii) Contact Number (iv) E-mail address | |
| 3. | Bank's details where the assistance is to be credited: (i) Name of the Bank (ii) Address of the Bank (iii) IFSC code (iv) Nature of account(SA/CA) (v) A/c Number (vi) Telephone / Fax No. of the bank | |
| 4. | RCMC Details (i) RCMC Number (ii) Date of Issue (iii) Issuing Authority (iv) Valid upto (v) Products for which registered | |

Part B

5. Application Details:

- (i) Name of Jurisdictional RA:
- (ii) Export Quarter (pl. specify the quarter of FY in which export has been made, based on export date mentioned on the shipping bill - Such as April to June 2019-20, etc.
- (iii) Date of uploading of Application on the website:

- (*) Please refer Annexure (2) of DoC's Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019, as amended from time to time.
- (**) Please refer Annexure (3) of DoC's Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019, as amended from time to time.

7. DECLARATION / UNDERTAKING

| | |
|---|---|
| 1 | <p>I/We hereby certify that :</p> <p>A. the entity for whom the application has been made has not been penalized under any of the following Acts (as amended from time to time):</p> <p>(i) The Customs Act, 1962,</p> <p>(ii) The Central Excise Act 1944,</p> <p>(iii) The Central Goods and Services Tax Act, 2017</p> <p>(iv) Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992,</p> <p>(v) The Foreign Exchange Management Act,1999; and</p> <p>(vi) The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974</p> <p>B. none of the Directors / Partners / Proprietor / Karta / Trustees of the company /firm /HUF/Trust, (as the case may be), is/are a Director(s) / Partner(s) / Proprietor / Karta / Trustee in any other Company/ firm / entity which is on the Denied Entity List (DEL) of DGFT;</p> <p>C. neither the Registered Office of the company / Head Office of the firm / nor any of its Branch Office(s)/ Unit(s)/ Division(s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking import / export under any of the provisions of the Policy;</p> |
| 2 | <p>I hereby declare that :</p> <p>i. no benefit under TMA has been earlier availed (or applied for) against Shipping Bills/Airway Bill currently included in this application.</p> <p>ii. export product for which the TMA is being claimed is actually exported by me and payment is realized by me in free foreign exchange through normal banking channels.</p> <p>iii. none of the consignment in respect of which claim is filed in this application is subsequently returned by the customer. In case it is returned in future, I undertake to refund the assistance granted with interest as prescribed under para 7(A).03 of HBP.</p> <p>iv. I have claimed TMA for export of eligible products to the notified markets only.</p> <p>v. this application does not contain any export products which are ineligible under TMA as specified in Annexure (1) of DoC's Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019, as amended from time to time.</p> <p>vi. this application does not contain any following categories / sectors which is listed as ineligible in per Para 7 of DoC's Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019, as amended from time to time:-</p> <p>a) Products exported from SEZs/ EOUs/ EHTPs/ STPs/BTPs/FTWZs</p> <p>b) SEZ/EOU/EHTPs/ STPs/BTPs/FTWZs products exported through DTA units</p> <p>c) Export of imported goods covered under paragraph 2.46 of the FTP;</p> <p>d) Exports through trans-shipment, i.e. exports that are originating in third country but trans- shipped</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>through India;</p> <p>e) Items, which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS), unless specifically notified.</p> <p>f) Export products which are subject to Minimum Export Price or export duty, unless specifically notified.</p> <p>g) Export of goods through courier or foreign post offices using e-Commerce</p> <p>vii. The claim in this application is limited to the notified rates and not greater than the actual freight paid.</p> <p>viii. the claim is for the shipments made on CIF basis through EDI ports only. No claim is made for shipments made on FOB basis.</p> <p>ix. the claim is made only for Full Container Loads (FCLs) shipped in Twenty-feet Equivalent Unit (TEU) containers or forty feet containers equivalent of two TEUs in case of shipment by sea and in the multiple of metric ton (ignoring any fraction thereof) in case of shipment by air. Less than Container Load (LCL) shipments/ shipments containing eligible and ineligible cargo has not been included in the application.</p> <p>x. no claim is made against export of cargo shipped in bulk/break bulk mode.</p> <p>xi. This is not a supplementary application for the quarter for which TMA claim has already been made.</p> |
| 3 | I/We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended from time to time, the Rules and Orders framed there under, the Foreign Trade Policy, the Handbook of Procedures. |
| 4 | I/We hereby certify that that particulars and statements made in this application are true and correct and nothing has been concealed or held therefrom. I/We fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted. |
| 5 | I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.06 of the Foreign Trade Policy. |
| 6 | I fully understand that RA or any other agency, at any time, may ask me to provide documents on the basis of which assistance was granted and which are not submitted in original. I undertake to provide any such details/documents without any delay on my part. In case, I am not able to provide such documentary evidence, I undertake to refund the amount of assistance in cash with interest at the prescribed rate from the date of such assistance and shall also be liable for penal action as per FTDR act. |

Tick the box as acceptance of declaration/ undertaking and fill in the details below.

Signature of the Applicant

Annexure (A) to ANF 7(A)A – Original To be submitted

**CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT (CA) / COST AND WORKS ACCOUNTANT (ICWA)/
COMPANY SECRETARY (CS)**

I have examined prescribed registers and also relevant records of M/s.....
having IEC Number in respect of their claim under Transport and Marketing Assistance (TMA) for Specified
Agriculture Products for the period from ----to----- for Rs. ----- and certify that

| | |
|----|---|
| 1. | Bills, Invoices, Forward Inward Remittance Certificates (FIRCs), Bank Realization Certificates, Certificate from international credit card companies, and evidences of foreign exchange earnings have been examined and verified by me. |
| 2 | The claim is in accordance with exports of specified goods/category listed in TMA for eligible products and for export made to the markets notified at Annexure (2) of DoC's Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019, as amended from time to time, at rate notified in Annexure (3) of the said Notification. The claim is in accordance with conditions prescribed in the |

| | |
|----|--|
| | said notification and in para 7(A).03 of HBP. |
| 3. | <p>I hereby declare that :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. no benefit under TMA has been earlier availed (or applied for) against Shipping Bills/Airway Bills currently included in this certificate. ii. export product for which the TMA is being claimed is actually exported by the applicant and payment is realized by it in free foreign exchange through normal banking channels. iii. none of the consignment in respect of which claim is certified herewith is subsequently returned by the customer. iv. the claim of made for export of eligible agriculture products to the notified markets only under the scheme. v. the claim does not contain any export products which are ineligible under TMA as specified in Annexure (1) of DoC's Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019, as amended from time to time. vi. the claim does not contain any following categories / sectors which is listed as ineligible in per Para 7 of DoC's Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019, as amended from time to time:- <ol style="list-style-type: none"> a) Products exported from SEZs/ EOUs/ EHTPs/ STPs/BTPs/FTWZs b) SEZ/EOU/EHTPs/ STPs/BTPs/FTWZs products exported through DTA units c) Export of imported goods covered under paragraph 2.46 of the FTP; d) Exports through trans-shipment, i.e. exports that are originating in third country but trans-shipped through India; e) Items, which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS), unless specifically notified. f) Export products which are subject to Minimum Export Price or export duty, unless specifically notified. g) Export of goods through courier or foreign post offices using e-Commerce vii. the claim is limited to the notified rates and not greater than the actual freight paid. viii. the claim is for the shipments made on CIF basis through EDI ports only. No claim is made for shipments made on FOB basis. xii. the claim is made only for Full Container Loads (FCLs) shipped in Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) containers or forty feet containers equivalent of two TEUs in case of shipment by sea and in the multiple of metric ton (ignoring any fraction thereof) in case of shipment by air. Less than Container Load (LCL) shipments/ shipments containing eligible and ineligible cargo has not been included in the application. xiii. no claim is made against export of cargo shipped in bulk/break bulk mode. xiv. this is not a supplementary application for the quarter for which TMA claim has already been made. |
| 4. | Neither I, nor any of my / our partners is a partner, director, or an employee of above-named entity, its Group companies or its associated concerns. |
| 7. | The details of exports contained in the application are certified as under |

6. Details of Export: (Separate entry for each shipment should be made.)

(a) For export by Sea:

| S.No. | SB Number | SB Date | Basis of Export made FOB/CIF | Port of Export | Item Number | ITCHS CODE | Product Description | (*)Region of Export | (*)Country of Export | FOB of Export in Rs. |
|-------|-----------|---------|---------------------------------|----------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | | | | | | | | |

| Size of container (20/40 feet) | No. of Containers | Type of Container Type Normal/ Reefer | Container Detail (Number etc) | Whether payment realized fully (Y/N) | Whether full payment realized in Freely Convertible Currency (Y/N) | Total freight paid in Rs | (**)Rate of Entitlement | Entitlement in RS | Net Entitlement in Rs. | Remarks |
|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | | | | | | | | | |

(b) For export by air:

| S.No. | AWB Number | AWB Date | Basis of Export made FOB/CIF | Port of Export | Flight (Number) | Flight Date | Item Number | ITCHS CODE | Product Description | (*)Region of Export |
|-------|------------|----------|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | | | | | | | | |

| (*)Country of Export | FOB of Export in Rs. | Net Weight of Export Cargo in KGS | Net Weight of Export Cargo in TONNE | Whether payment realized fully (Y/N) | Whether full payment realized in Freely Convertible Currency (Y/N) | Freight paid in Rs | (**)Rate of Entitlement | Entitlement in RS | Net Entitlement in Rs. | Remarks |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | | | | | | | | | |

(*) Please refer Annexure (2) of DoC's Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019, as amended from time to time.

(**) Please refer Annexure (3) of DoC's Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019, as amended from time to time.

We M/s XYZ Pvt. Ltd. are the accredited agents of the concerned goods carrier on the date of issuance of the tracking document. We have verified that this proof of landing goods in relevant notified market is given based on information available in goods carriers' backup database and we have issued this document accordingly.

For XYZ Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

Name:

Designation:

Place:

Date:

Pre-receipt

An amount of Rs. _____ has been received by me in my bank account (details as given in the application) towards Transport And Marketing Assistance (TMA) for Specified Agriculture Products as per DoC's Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019, as amended from time to time, against the application submitted vide ECOM No.----- for the export made by me in the quarter (-----) for Financial Year -----.

(Signature of the Applicant)